UPLK010189452023

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–15, लखनऊ।

Misc. Civil Cases/861/2023

Kanhaiya Lal Agrawal Vs. Smt. Padma Upadhyay and Ors.

दिनॉक–12.08.2026

1. पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। प्रार्थी को प्रार्थना–पत्र बी–3 पर सुना गया। पत्रावली आज आदेशार्थ नियत है।

2. प्रार्थी की ओर से **प्रार्थना–पत्र बी–3 अन्तर्गत आदेश XLI नियम 19 सपठित आदेश IX नियम 4 और धारा 151 सी0पी0सी0** मय शपथ–पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि साथ में दिए गए शपथ–पत्र में वर्णित तथ्यों, कारणों और परिस्थितियों के आधार पर दिनांक 13.10.2023 के उस आदेश को, जिसके द्वारा आवेदक द्वारा दायर नियमित सिविल अपील संख्या 8/2000 को आवेदक की अनुपस्थिति के कारण इस न्यायालय द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था और उक्त अपील को चूक के कारण खारिज कर दिया गया था, वापस लिया जाए और उक्त अपील, आर.सी.ए. संख्या 8/2000 (कन्हैया लाल अग्रवाल बनाम श्रीमती पद्मा उपाध्याय और अन्य) न्याय हित में उसके मूल नम्बर पर पुनर्स्थापित की जाए अन्यथा आवेदक को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी भरपाई न्याय हित में किसी अन्य तरीके से नहीं की जा सकती।

प्रार्थी द्वारा अपने शपथ–पत्र में कथन किया गया है कि उपर्युक्त संदर्भित नियमित सिविल अपील संख्या 8/2000 को इस न्यायालय के समक्ष अंतिम बार 01.09.2023 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था और उस दिन वकीलों की हड़ताल के कारण इस न्यायालय की केस सूची में नियमित सिविल अपील संख्या 8/2000 की अगली तिथि 19.09.2023 को दर्शाई गई थी। 19.09.2023 को वकीलों के आंदोलन के कारण न्यायिक कार्य लगभग ठप्प हो गया था, लेकिन जब आवेदक के वकील ने उक्त नियमित सिविल अपील संख्या 8/2000 के बारे में पूछताछ की, तो इस माननीय न्यायालय के रीडर ने उक्त नियमित सिविल अपील संख्या 8/2000 में अगली तारीख 18.10.2023 बताई। 18.10.2023 को जब शपथकर्ता के वकील इस माननीय न्यायालय में पहुँचे और पूछताछ करने पर पता चला कि उक्त मामला 18.10.2023 की सुनवाई सूची में सूचीबद्ध नहीं था और पिछली तारीख से इस माननीय न्यायालय के रीडर से पूछताछ करने पर शपथकर्ता के वकील को यह जानकारी मिली कि उपर्युक्त नियमित सिविल अपील संख्या 8/2000 को 18.10.2023 के बजाय 13.10.2023 को सूचीबद्ध किया गया था और उस दिन माननीय न्यायालय ने अपीलकर्ता की अनुपस्थिति और कार्यवाही में कमी के कारण उक्त नियमित सिविल अपील संख्या 8/2000 को खारिज कर दिया। शपथकर्ता और उसके वकील दोनों ही सुनवाई के समय अनुपस्थित थे। दिनांक 13.10.2023 को दायर की गई यह नियमित

सिविल अपील संख्या 8/2000 शपथकर्ता और उसके वकील के नियंत्रण से बाहर थी क्योंकि दिनांक 19.09.2023 से उक्त नियमित सिविल अपील संख्या 8/2000 की अगली तिथि 13.10.2023 के बजाय 18.10.2023 निर्धारित की गई थी इसलिए शपथकर्ता और उसके वकील के लिए दिनांक 13.10.2023 को इस माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का कोई अवसर या संभावना नहीं थी। अतः दिनांक 13.10.2023 को शपथकर्ता और उसके वकील की अनुपस्थिति आकस्मिक थी, जानबूझकर नहीं, और इसे क्षमा किया जाना चाहिए। चूंकि दिनांक 13.10.2023 को शपथकर्ता और उसके वकील की इस न्यायालय के समक्ष अनुपस्थिति केवल निर्धारित तिथि की गलत जानकारी के कारण थी और यह आकस्मिक थी, जानबूझकर नहीं। इसलिए, दिनांक 13.10.2023 को शपथकर्ता और उसके वकील की अनुपस्थिति का कारण वास्तविक और सद्भावनापूर्ण है। अतः न्याय के हित में दिनांक 13.10.2023 के आदेश को अपास्त किये जाने की याचना की है।

3. विपक्षीगण सं0–1 लगायत 5 के विद्वान अधिवक्ता की ओर से उक्त प्रार्थनापत्र पर आपत्ति सी–5 प्रस्तुत करते हुये कथन किया गया है कि साथ में प्रत्यर्थी सं0–3 कु0 अर्चना उपाध्याय द्वारा दिए गए प्रति शपथ–पत्र में बताए गए कारणों के आधार पर पूरी तरह से गलत तथ्यों पर आधारित यह आवेदन निरस्त करने की याचना की है और कथन किया है कि चूक के कारण खारिज की गई अपील को पुनर्स्थापित करने का कोई प्रावधान नहीं है बल्कि केवल आदेश XLI नियम 19 सी.पी.सी. के तहत अपील को पुनः स्वीकार करने का प्रावधान है। यह भी कथन किया कि आदेश 9 के प्रावधान इस अपील पर लागू नहीं होते क्योंकि आदेश XLI सी.पी.सी. में अपील को पुनः स्वीकार करने का विशिष्ट प्रावधान पहले से ही मौजूद है। यदि इस न्यायालय को किसी आधार पर यह सिद्ध होता है कि आदेश 9 सी.पी.सी. के प्रावधान लागू होते हैं तो उस स्थिति में 13.10.2023 को प्रतिवादी के वकील की उपस्थिति में खारिज की गई अपील पर मामले या अपील को पुनर्स्थापित करने के लिए केवल आदेश 9 नियम 9 के प्रावधान लागू होंगे न कि आदेश 9 नियम 4 के प्रावधान जैसा कि आवेदक द्वारा आरोप लगाया गया है। 01.09.2023 को अपील में निर्धारित तिथि का कोई महत्व नहीं है। हालांकि, यह निर्विवाद है कि 01.09.2023 को अपील को 19.09.2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था क्योंकि पीठासीन अधिकारी अवकाश पर थे, न कि वकील की हड़ताल के कारण जैसा कि आवेदक ने आरोप लगाया है। हालांकि, यह निर्विवाद है कि 01.09.2023 को मामले को 19.09.2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। 19.09.2023 को अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, लेकिन कोई उपस्थित न होने के कारण अपील को 13.10.2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था, जिसका उल्लेख आदेश पत्र में अलग से तथा आदेश में भी किया गया है। अतः इस माननीय न्यायालय के रीडर द्वारा अपीलकर्ता के वकील के क्लर्क को सूचित किया गया कि अपील की सुनवाई 18.10.2023 को होगी, यह तथ्य पूरी तरह से गलत है और आवेदक को इस तथ्य को सिद्ध करना होगा। संबंधित अपील 13.10.2023 को सूचीबद्ध की गई थी और उसी दिन प्रत्यर्थी संख्या 1 से 5 की उपस्थिति में खारिज कर दी गई थी। 13.10.2023 को अपीलकर्ता की ओर से

कोई उपस्थित नहीं था इसलिए न्यायालय ने उक्त अपील को सही ढंग से खारिज कर दिया है। शेष तथ्यों को आवेदक को ठोस साक्ष्यों के माध्यम से सिद्ध करना होगा। निर्धारित तिथि पर अनुपस्थिति के कारण विश्वासयोग्य नहीं हैं क्योंकि इस न्यायालय के रीडर की अपीलकर्ता/आवेदक से कोई शत्रुता नहीं है और उन्हें गलत जानकारी देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। आवेदक द्वारा लगाए गए आरोप के अनुसार, यह आवेदन सही तथ्यों पर आधारित नहीं है और इसे सव्यय खारिज किये जाने की याचना की है।

4. सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

5. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि दिनांक 13.10.2023 को प्रार्थी के अनुपस्थित रहने तथा कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत न करने के कारण और प्रार्थी को बहस हेतु कई बार अंतिम अवसर दिये जाने के बावजूद उक्त दिनांक को प्रार्थी/अपीलार्थी की अनुपस्थिति में अपील बलहीन पाये जाने के कारण निरस्त कर दी गयी। प्रार्थी द्वारा अपनी अनुपस्थिति का आधार निर्धारित तिथि की गलत जानकारी होने के कारण थी और यह आकस्मिक थी जानबूझकर नहीं की गयी इस कारण दिनांक 13.10.2023 को उसकी अनुपस्थिति का कारण वास्तविक और सद्भावनापूर्ण है। आधार पर्याप्त है।

अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है ताकि वाद का निस्तारण गुण दोष के आधार पर हो सके। विलम्ब की क्षतिपूर्ति हर्जे से हो सकती है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र बी–3, मु0 1000/–रू0 हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। आर0सी0ए0 8/2000 (कन्हैया लाल अग्रवाल बनाम श्रीमती पद्मा उपाध्याय और अन्य) में पारित आदेश दिनांकित 13.10.2023 अपास्त किया जाता है। आर0सी0ए0 अपने मूल नम्बर पर पुर्नस्थापित किया जाता है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनॉक–12.08.2026

(डॉ0 शिवा पाण्डेय)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष सं0–15, लखनऊ।

Digitally signed by SHIVA PANDEY
Date: 2026.08.12 15:13:56 NPT
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court